18

भारत में चुनाव प्रक्रिया

चुनाव देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को सरकार बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने योग्य बनाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि हमारे देश में चुनाव कई बार होते हैं। इनमें लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं, विधान परिषदों, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रमुख होते हैं। चुनाव स्थानीय निकायों; जैसे नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायती-राज संस्थाओं के लिए भी होते हैं। यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आपने इनमें से कुछ चुनावों में मतदान भी किया होगा। ये चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के सभी भारतीयों को उनकी जाति, रंग, धर्म, लिंग और जन्म स्थान का भेदभाव किए बिना मतदान का अधिकार है।

चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें सूचियां, नियम और मशीनरी सम्मिलित होते हैं। यह पाठ आपको चुनाव-विधि तथा नामांकन पत्र भरने, उनकी जांच तथा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों (प्रत्याशियों) द्वारा किए जाने वाले प्रचार की स्पष्ट रूप दिखलाएगा। इस पाठ में आप चुनाव आयोग (निर्वाचन आयोग), भारत में चुनाव प्रक्रिया तथा चुनाव सुधार संबंधी कुछ सुझावों के बारे में पढ़ेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- आप भारत के निर्वाचन आयोग की रचना का वर्णन कर सकेंगे;
- निर्वाचन आयोग के कार्यों की गणना और इसकी भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे;
- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक की प्रक्रिया को स्मरण कर सकेंगे;
- चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख कर सकेंगे;
- चुनाव से जुड़े अधिकारियों की पहचान तथा उनके कार्यों का वर्णन कर सकेंगे;
- चुनाव प्रक्रिया की कमियों को जान सकेंगे तथा चुनावी सुधारों की आवश्यकता को समझ सकेंगे; तथा
- चुनावी सुधारों के लिए सुझाव दे सकेंगे और पहले से किए गए सुधारों को जान सकेंगे।

18.1 भारत का निर्वाचन आयोग

भारतीय संविधान निर्माताओं ने चुनाव करवाने के लिए एक स्वतंत्र चुनावी मशीनरी को विशेष महत्व दिया। भारत के संविधान में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है जो सभी चुनावों के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। यह संसद के दोनों सदनों, विधान सभाओं तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त यह मतदान सूचियां बनाने, उन्हें संशोधित करने तथा मतदाता सूचियों के रख-रखाव के लिए भी उत्तरदायी है। यह संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के लिए चुनावी-क्षेत्र परिसीमित करता है, चुनावी कार्यक्रम निश्चित करता है और चुनावी विवाद सुलझाता है। यह चुनाव से संबंधित अनेक अन्य कार्य करता है।

18.1.1 संगठन

निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत चुनाव आयुक्त होते हैं। 1950 में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद से 1989 तक कोई अन्य चुनाव आयुक्त नहीं था। मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए काफी संख्या में अधिकारी होते हैं। निर्वाचन आयोग 16 अक्टूबर 1989 को बहुसदस्यीय बन गया, जब राष्ट्रपति ने दो और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए। चुनाव आयुक्तों में वरिष्ठ को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है।

18.1.2 कार्यकाल और हटाया जाना

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को छह वर्ष की कार्यावधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है। यह आवश्यक है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त सभी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। इसलिए भले ही वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं परंतु फिर भी वह उन्हें हटा नहीं सकता और उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवाशर्तों और उनकी कार्यावधि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अपनाए बिना नहीं हटाया जा सकता। परंतु अन्य चुनाव आयुक्त और क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के नीचे काम करते हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।

18.2 निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य

निर्वाचन आयोग का प्राथमिक कार्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना है। इस हेतु निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं:-

18.2.1 चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना

चुनाव प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए देश को अनेक चुनावी क्षेत्रों में बांटना होता है।

चुनाव क्षेत्र: यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं।

चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का काम आमतौर पर परिसीमन आयोग करता है जिसमें उच्चतम न्यायालय के पांच सेवानिवृत अथवा सेवारत न्यायाधीश होते हैं तथा मुख्य चुनाव आयुक्त इसका पदेन सदस्य होता है। परिसीमन आयोग को सभी प्रकार की सचिवालयी सहायता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। परिसीमन आयोग का समय-समय पर सरकार द्वारा गठन किया जाता है।

टिप्पणी

18.2.2 मतदाता सूचियां तैयार करना

प्रत्येक क्षेत्र की एक विस्तृत मतदाता सूची होती है। इसे मतदाता सूची कहा जाता है। निर्वाचन आयोग संसद तथा विधान सभा चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में उन सभी व्यक्तियों के नाम दर्ज होते हैं जो उस चुनाव में मतदान करने का अधिकार रखते हैं। मतदाता सूची को समय-समय पर प्राय: साधारण चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनावों से पूर्व संशोधित किया जाता है।

आम चुनाव	नई लोक सभा अथवा विधान सभा गठित करने के लिए हाने वाले चुनावों को आम चुनाव कहा जाता है।
उप चुनाव	यदि किसी समय लोक सभा अथवा विधान सभा के कार्यकाल के बीच किसी सदस्य की मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने से स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान/सीट के लिए होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं।
मध्यावधि चुनाव	यदि लोक सभा अथवा राज्य विधान सभा को पांच वर्ष की कार्यावधि से पूर्व भंग कर दिया जाता है और नई लोक सभा अथवा विधान सभा गठित करने के लिए होने वाले चुनावों की मध्यावधि चुनाव कहते हैं।

चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त संगणकों द्वारा घर-घर जाकर संशोधन किया जाता है और सभी योग्य मतदाताओं का पंजीकरण किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है यदि वह अधोलिखित योग्यताएं पूरी करता हो:

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 18 वर्ष की हो।
3. वह उस चुनाव क्षेत्र का निवासी हो।

18.2.3 राजनीतिक दलों को मान्यता

निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दलों को अखिल भारतीय (राष्ट्रीय) अथवा राज्य (क्षेत्रीय) राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देना है। यदि किसी साधारण चुनाव में किसी दल विशेष को किन्हीं चार राज्यों के कुल वैध मतों का 6 प्रतिशत प्राप्त होता है तो उसे अखिल भारतीय (राष्ट्रीय) दल के रूप में मान्यता मिलती है। यदि एक दल को एक राज्य में पड़े वैध मतों का 4 प्रतिशत मिलता है तो उसे प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। (आप राजनीतिक दलों के बारे में विस्तार से पाठ संख्या 19 में पढ़ेंगे)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वर्तमान में प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं।

18.2.4 चुनाव चिह्न आबंटित करना

राजनीतिक दलों के पास निर्वाचन आयोग द्वारा आबंटित चुनाव चिह्न होते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिह्न हाथ है, भारतीय जनता पार्टी का कमल तथा बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिह्न हाथी है। ये चुनाव चिह्न निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हैं:

टिप्पणी

1. यह निरक्षर मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण एवं सहायक होते हैं जो उम्मीदवारों के नाम नहीं पढ़ सकते।
2. यह एक ही नाम वाले दो उम्मीदवारों के बीच अंतर (भेद) करने में भी सहायक होते हैं।

18.3 चुनाव करवाने वाले अधिकारी

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग चुनाव कार्य में सहायता करने के लिए हजारों चुनाव इन अधिकारी नियुक्त करता है। अधिकारियों को मजिस्ट्रेटों, पुलिस अफसरों, लोक सेवकों, टाइपिस्टों, स्कूली अध्यापकों, ड्राईवरों और चपरासियों इत्यादि से लिया जाता है। इनमें से तीन प्रमुख अधिकारी हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हैं- रिटर्निंग आफीसर, पीठासीन अधिकारी और चुनाव (मतदान) अधिकारी।

18.3.1 रिटर्निंग अधिकारी

प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में सम्बद्ध राज्य सरकार से परामर्श करके एक अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी का पदनाम दिया जाता है। एक अधिकारी को एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों का रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। सभी नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को सौंपे जाते हैं। वह पत्रों की जांच करता है और ठीक पाये जाने पर उन्हें स्वीकार करता है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वह चुनाव चिह्न आवंटित करता है। वह उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने को स्वीकृति देता है और अन्तिम सूची घोषित करता है। वह सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करता है, उसकी देखरेख में मतपत्रों की गिनती होती है और अंत में उसके द्वारा परिणाम घोषित किया जाता है। वास्तव में रिटर्निंग अफसर सम्बद्ध चुनाव क्षेत्र में निष्पक्ष और सक्षम चुनाव संचालन का सबसे उपर का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है।

18.3.2 पीठासीन अधिकारी

प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केन्द्र होते हैं, प्रत्येक मतदान केन्द्र लगभग एक हजार मतदाताओं के लिए होता है। ऐसा प्रत्येक मतदान केन्द्र किसी एक अधिकारी के अंतर्गत होता है जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। वह अपने मतदान केन्द्र की सारी चुनावी प्रक्रिया की देखरेख करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र मतदान का अवसर मिले। मतदान उपरांत वह मतपेटियों को सील कराता है और रिटर्निंग अफसर तक पहुंचाता है।

18.3.3 चुनाव अधिकारी

प्रत्येक पीठासीन अधिकारी की तीन अथवा चार चुनाव अधिकारी सहायता करते हैं। वे मतदाता का नाम मतदाता सूची में देखते हैं, मतदाता की उंगली पर न मिटने वाली स्याही लगाते हैं, उसे मतपत्र देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान कर सके।

> न मिटने वाली स्याही: यह स्याही आसानी से नहीं मिटाई जा सकती। यह मतदाता के दायें हाथ की पहली उंगली पर लगाई जाती है ताकि कोई मतादाता दोबारा आकर दूसरी बार मतदान न कर सके। ऐसा छद्म व्यक्तियों को रोकने के लिए किया जाता है।

पाठगत प्रश्न 18.1

चार विकल्पों में से सही पर (✓) निशान लगाएं–

1. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का दायित्व

(क) भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश पर है।

टिप्पणी

(ख) चुनाव आयोग पर है।

(ग) राष्ट्रपति पर है।

(घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर है।

2. मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति–

(क) भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश करता है।

(ख) राष्ट्रपति करता है।

(ग) कानून मंत्री करता है।

(घ) प्रधानमंत्री करता है।

रिक्त स्थानों को भरिए–

3. मुख्य चुनाव आयुक्त को .... वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

4. मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की विधि .... को हटाने की विधि के समान है।

5. निम्नलिखित राजनीतिक दलों और संबंधित चुनाव चिह्नों का मिलान करें

(क) भाजपा	साइकिल
(ख) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	कमल
(ग) तेलुगु देशम	हाथ

6. निम्नलिखित में से किसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं?

(क) वर्ष के मध्य में होने वाले चुनाव को।

(ख) कार्यक्रम से बाहर चुनाव करवाना।

(ग) सत्तारूढ़ पार्टी को विश्वास मत प्राप्त न होने के कारण अवधि के दौरान कभी भी चुनाव करवाना।

7. मतदाता होने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है–

(क) व्यक्ति 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए।

(ख) व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ग) व्यक्ति के पास दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

18.4 चुनाव प्रक्रिया

भारत में चुनाव कानून तथा निर्धारित विधि से होते हैं जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है;

18.4.1 चुनाव की अधिसूची जारी करना

सरकारी तौर पर चुनाव की प्रक्रिया तब प्रारम्भ होती है जब चुनाव आयोग की सिफारिश पर लोक सभा

के मामले में राष्ट्रपति और विधान सभा के मामले में राज्यपाल चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जमा कराने के लिए सात दिन दिए जाते हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद रविवार को छोड़ कर सातवां दिन अन्तिम दिन होता है। नामांकन पत्रों की जांच साधारणतया नामांकन भरने की अंतिम तिथि के बाद होती है। उम्मीदवार पत्रों की जांच के बाद दूसरे दिन अपना नाम वापस ले सकता है। चुनाव नामांकन वापस लेने के बाद के बीस दिन से पहले नहीं होता।

18.4.2 नामांकन पत्र भरना

चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को एक निर्धारित प्रपत्र भरना होता है जिसमें उसे अपना नाम, आयु, डाक का पता और मतदाता सूची में अपना क्रमांक लिखना होता है। प्रत्याशी के नामांकन पत्र को प्रस्तावित तथा समर्थित किन्हीं दो मतदाताओं जो कि उसी चुनाव क्षेत्र में पंजीकृत हो, द्वारा किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक प्रत्याशी को शपथ भी लेनी होती है। इसके पश्चात नामांकन पत्र को रिटर्निंग प्राधिकारी के पास जमा कराना होता है।

18.4.3 सुरक्षा राशि (जमानत राशि)

प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरते समय एक सुरक्षा राशि भी जमा करवानी होती है। लोक सभा के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को दस हजार रुपए तथा विधान सभा के लिए पांच हजार रुपए की सुरक्षा राशि जमा करानी होती है। परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को लोक सभा के लिए 5000 रू और विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए 2500 रु. की सुरक्षा राशि जमा करानी होती है। यदि उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग नहीं मिलता तो सुरक्षा राशि जब्त हो जाती है।

18.4.4 जांच और नाम वापस लेना

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त सभी नामांकन पत्रों की चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिन को जांच की जाती है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी पत्र निर्धारित विधि अनुसार भरे गए हैं अथवा नहीं तथा उनके साथ आवश्यक सुरक्षा (जमानत) राशि भी जमा करवा दी गई है। रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर नामांकन पत्र रद्द कर सकता है।

(i) यदि उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम है।

(ii) यदि उसने सुरक्षा राशि जमा नहीं करवाई है।

(iii) यदि उसके पास कोई लाभ का पद है।

(iv) यदि उसका नाम देश में कहीं भी मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है।

पत्रों की जांच पड़ताल के बाद के दूसरे दिन नाम वापस लेने का अन्तिम दिन होता है। यदि उस दिन रविवार अथवा अवकाश हो तो उससे अगले दिन को नाम वापस लेने के लिए निश्चित किया जाता है।

18.4.5 चुनाव प्रचार/अभियान

चुनाव प्रचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई उम्मीदवार मतदाताओं को किसी अन्य के स्थान पर स्वयं उसे ही मत देने के लिए प्रेरित करता है। इस अवधि में उम्मीदवार अपने क्षेत्र में यथा-सम्भव अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने हेतु प्रभावित करने के लिए यात्रा करते हैं। पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को सरकारी इलेक्ट्रानिक मीडिया और आल इण्डिया रेडियो पर अपना प्रचार निशुल्क करने की सुविधा प्रदान की है। सभी

राजनीतिक दलों को निशुल्क दिया जाने वाला समय चुनाव आयोग द्वारा आबंटित किया जाता है। चुनाव प्रचार मतदान के दिन से 48 घंटे पहले रुक जाता है। चुनावी प्रक्रिया में प्रचार की अनेक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से कुछ हैं:-

(i) जन सभाएं करना

(ii) अपने चुनाव घोषणा पत्र के मुख्य मुद्दों को उजागर करने वाले पर्चे बांटना (चुनाव घोषणा)। चुनाव घोषणा राजनीतिक दल द्वारा जारी एक दस्तावेज है, जिसमें सम्बन्धित दल की नीतियों एवं कार्यक्रमों की घोषणा होती है- इसके बारे में आप पाठ 19 में विस्तार से पढ़ेंगे।

(iii) दल के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा घर-घर जाकर निवेदन करना।

(iv) विभिन्न राजनीतिक नेताओं के भाषणों को प्रसारित एवं टी.वी. पर दिखाया जाना।

18.4.6 आदर्श आचार संहिता

चुनाव प्रचार की अवधि में राजनीतिक दलों तथा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से राजनीतिक दलों की आपसी सहमति के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही यह लागू हो जाती है। आचार संहिता निम्नलिखित प्रकार से है-

(i) राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों (उम्मीदवारों) को चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(ii) चुनाव प्रचार हेतु दिए गए भाषण विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं इत्यादि से संबंध रखने वाले विभिन्न समुदायों के बीच घृणा पैदा करने वाले नहीं होने चाहिए।

(iii) चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद कोई नई योजना घोषित नहीं की जा सकती और कोई नई परियोजना शुरू नहीं की जा सकती।

(v) कोई भी जन संचार के साधनों का पक्षपात पूर्ण ढंग से दुरुपयोग नहीं कर सकता।

18.4.7 खर्चे की जांच-पड़ताल

यद्यपि चुनाव आयोग सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और प्रांतीय दलों को अपने प्रचार के लिए सीमित समय की निशुल्क सुविधा प्रदान करता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि राजनीतिक दल अपने प्रचार पर कुछ खर्च नहीं करते। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने प्रचार अभियान पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, खर्च की गई राशि की जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। संसदीय और विधान सभाओं का चुनाव पर खर्च करने की एक निश्चित सीमा है। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद के 45 दिनों में अपने चुनावी खर्च का लेखा-जोखा जमा करवाना होता है। त्रुटि पाए जाने पर अथवा किसी उम्मीदवार द्वारा निश्चित सीमा से अधिक खर्च किए जाने पर चुनाव आयोग उचित कार्रवाई कर सकता है और विजयी उम्मीदवार को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है अर्थात उसके चुनाव को रद्द किया जा सकता है।

18.4.8 मतदान, गिनती (गणना) परिणाम घोषित करना

मतदान करवाने के लिए प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में मतदान केन्द्र बनाए जाते हैं। प्रत्येक

चुनाव केन्द्र पर पीठासीन अधिकार का अधिकारत होता है और उसके अधीन कई चुनाव अधिकारी काम करते हैं।

मतदाता गुप्त रूप से एक कक्ष में मतदान करता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति न जान पाए कि उसने किसके पक्ष में मतदान किया है। इसे गुप्त मतदान कहते हैं। मतदान के उपरांत मतपेटियों को उम्मीदवारो को एजेन्टों की उपस्थिति में सील किया जाता है। एजेन्ट यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। शर्त यह है कि मतदाता निर्धारित समय सीमा में मतदान के लिए आया हो।

18.4.9 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.)

चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए छेड़छाड़ से मुक्त इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग शुरू किया है। प्रत्येक मशीन में एक क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न होते हैं। एक मशीन में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। यदि संख्या 16 से बढ़ जाए तो एक से अधिक मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक हो तो मतपत्र का प्रयोग किया जा सकता है। मतदान को अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देने के लिए उचित बटन दबाना होता है। जैसे ही बटन दबाया जाता है मशीन उसके बाद अपने आप बंद हो जाती है। तब दूसरे मतदाता की बारी आती है। मशीन द्वारा काम करवाना आसान है और इसके प्रयोग से मत पत्रों तथा मत पेटियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब गिनती करना बहुत आसान और तेज होता है। 1999 में दिल्ली लोकसभा की सातों सीटों के चुनाव के लिए वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया गया और बाद में विधान सभा के चुनाव में भी इसका प्रयोग किया गया। 2004 में लोक सभा चुनावों में पूरे देश में इलेक्ट्रानिक मशीनों का प्रयोग किया गया था। सील की गई मतपेटियों अथवा मशीनों को समुचित सुरक्षा के बीच मतगणना केन्द्रों पर लाया जाता है। मतगणना रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में तथा उम्मीदवार अथवां उसके एजेन्टों की उपस्थिति में की जाती है। यदि किसी मत पर अथवा उसकी वैधता पर कोई संदेह हो तो रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जाता है। जैसे ही गिनती पूरी होती है तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचित घोषित करता है।

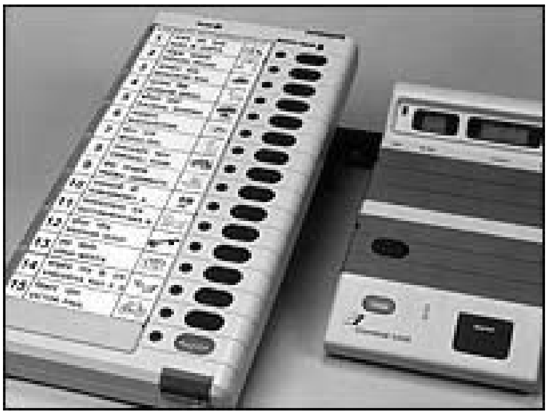

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

पुनर्मतदान–यदि मतदान के समय किसी मतदान केन्द्र पर असामाजिक तत्व कब्जा कर लेते हैं तो चुनाव आयोग पूरे क्षेत्र अथवा कुछ मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान के आदेश कर सकता है।

चुनाव रद्द करना: यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के सही ढंग से नामांकित उम्मीदवार की नामांकन की अन्तिम तिथि के बाद और मतदान शुरू होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो चुनाव आयोग चुनाव

रद्द करने के आदेश देता है। यह केवल चुनाव स्थगन ही नहीं होता अपितु सम्बन्धित क्षेत्र के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया नामांकन से लेकर मतदान तक नए सिरे से दोहराई जाती है।

पाठगत प्रश्न 18.2

1. चुनावों के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है-

   (क) चुनाव आयोग

   (ख) रिटर्निंग अधिकारी

   (ग) राष्ट्रपति

2. नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तिथि कौन-सा दिन होता है-

   (क) चौथा

   (ख) पांचवा

   (ग) सातवां

3. चुनाव कार्यक्रम कितने दिन तक का होता है-

   (क) सात दिन

   (ख) 20 दिन

   (ग) एक महीना

4. नामांकन पत्रों को उचित ढंग से कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए-

   (क) सम्बन्धित क्षेत्र के दो मतदाताओं द्वारा

   (ख) सम्बन्धित क्षेत्र के तीन मतदाताओं द्वारा

   (ग) सम्बन्धित क्षेत्र के चार मतदाताओं द्वारा

   (घ) सम्बन्धित क्षेत्र के छह मतदाताओं द्वारा

5. चुनाव प्रचार कब रोक दिया जाता है-

   (क) मतदान से 12 घण्टे पहले

   (ख) मतदान से 24 घण्टे पहले

   (ग) मतदान से 48 घण्टे पहले

6. पोलिंग बूथ (मतदान केन्द्र) पर काम करने वाले अधिकारी कौन होते हैं-

   (क) चुनाव अधिकारी

   (ख) रिटर्निंग अधिकारी

   (ग) पीठासीन अधिकारी

7. एक ई.वी.एम. अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है-

(क) दस

(ख) 16

(ग) 20

18.5 भारतीय चुनाव प्रक्रिया के दोष (कमियां)

भारतीय चुनाव प्रक्रिया की दुनियां भर में प्रशंसा हुई है। जिस तरह से भारत में चुनाव करवाए जाते हैं उसकी लोगों ने सराहना की है। लेकिन इस प्रक्रिया की अपनी कुछ कमियां भी हैं। यह देखा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों के बावजूद हमारी चुनाव प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां है। कुछ उल्लेखनीय त्रुटियों पर नीचे चर्चा की गई है।

18.5.1 धन-बल

चुनावों में बेहिसाब पैसे की भूमिका एक गंभीर समस्या बन गई है। राजनीतिक दल कम्पनियों और व्यापारियों से पैसा एकत्रित करते हैं और फिर इस पैसे को मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयोग करते हैं। व्यापारियों का योगदान अधिकतर नकद और हिसाब-किताब से बाहर होता है। चुनाव के दौरान अन्य कई भ्रष्ट तरीके जैसे रिश्वत देना, बेईमानी अथवा वोटरों को डराना-धमकाना, जाली वोट डलवाना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने तथा वापस ले जाने के लिए परिवहन और अन्य साधन मुहैया कराना आदि भी अपनाए जाते हैं। चुनाव के दौरान गरीब इलाकों में शराब बांटने की सूचनाएं आम बात हैं।

18.5.2 बाहु-बल

पहले अपराधी बंदूक की नोक पर मतदाताओं को डरा-धमका कर उनसे अपनी इच्छानुसार वोट डलवाकर उम्मीदवारों को सहयोग दिया करते थे। अब वे स्वयं चुनाव लड़ने के द्वारा खुलकर सामने आ गए हैं जिससे राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। परिणाम-स्वरूप चुनावों के दौरान हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

18.5.3 जाति और धर्म

प्राय: राजनीतिक दल उम्मीदवारों को इस विचार के बाद टिकट देते हैं कि क्या वह संख्या की दृष्टि से बड़ी जातियों और समुदायों के वोट और सहयोग प्राप्त कर सकता है तथा क्या उसके पास पर्याप्त संसाधन हैं। मतदाता भी जातीय और साम्प्रदायिक आधार पर मतदान करते हैं। प्रचार अभियान में लोगों की साम्प्रदायिक निष्ठा का प्रयोग किया जाता है।

18.5.4 सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग

सभी राजनीतिक दलों के पास संसाधनों तक पहुंचने के समान अवसर नहीं होते। सत्तारूढ़ दल सदैव विपक्षी दल से बेहतर स्थिति में होता है। आमतौर पर यह आरोप लगता है कि सत्तासीन दल सरकारी मशीनरी का दुरुपोग करने से नहीं हिचकिचाते।

इन सब कारणों से हिंसा, मतकेन्द्रों पर कब्जा करना, बेईमानी, जाली मतदान, मतपत्रों, मतपेटियों को बलात छीन ले जाना, वाहनों को आग लगा देने जैसी घटनाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप लोगों का चुनावों पर से विश्वास कम होता जा रहा है।

18.6 चुनाव सुधार

लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए क्रमश: 1974 और 1990 में विशेष रूप से चुनाव सुधारों की योजना का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए नियुक्त की गई तारकुण्डे समिति द्वारा अनेक सुधारों की सिफारिश की गई है। इन सिफारिशों में से कुछ को लागू भी किया जा चुका है। वास्तव में यह उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त टी.आर. शेषन की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कई नए उपायों को अपनाया। अब तक लागू किए गए कुछ सुधार निम्नलिखित हैं-

(क) मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इससे वोटरों की संख्या में वृद्धि तथा देश के युवाओं में विश्वास प्रकट किया गया है।

(ख) चुनावों को गंभीरता से न लेने वाले कई उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सुरक्षा राशि को बढ़ा देना एक अन्य बड़ा परिवर्तन है।

(ग) जाली मतदान और बोगस मतदान के उन्मूलन के लिए फोटो पहचान पत्र शुरू किए गए हैं।

(घ) इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू होने से मतदान केन्द्रों पर कब्जा, हेराफेरी और जाली मतदान सम्भव नहीं हो सकेगा। ई.वी.एम. के प्रयोग से कुछ समय बाद चुनाव करवाने के खर्च को कम करने तथा गिनती के समय बेईमानी की घटनाएं भी कम होंगी।

(ङ) कुल डाले गए मतों की संख्या तथा गिने गए मतों की संख्या में अंतर मिलने पर रिटर्निंग अधिकारी सीधे चुनाव आयोग को सूचना दे सकता है। ऐसी रिपोर्ट मिलने पर चुनाव आयोग किसी विशेष मतदान केन्द्र पर हुए चुनाव को अवैध घोषित कर सकता है और नए चुनाव की तिथि निश्चित कर सकता है अथवा उस पूरे चुनाव क्षेत्र का चुनाव रद्द कर सकता है।

पाठगत प्रश्न 18.3

1. भारतीय चुनाव प्रक्रिया की कुछ कमियां हैं-

   (क) .... (ख) ....

   (ग) .... (घ) ....

2. भारत में लागू किए गए अति महत्वपूर्ण चुनाव सुधार हैं–

   (क) ....

   (ख) ....

   (ग) ....

   (घ) ....

आपने क्या सीखा

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए संविधान द्वारा एक निष्पक्ष संस्था 'निर्वाचन आयोग' स्थापित किया गया है। यह त्रिसदस्यीय संस्था है। चुनाव आयोग के मुख्य कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिह्न आबंटित करना, चुनावों की देखभाल एवं करवाने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करना आदि हैं। चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम को घोषित करता है और

आदर्श आचार संहिता जारी करता है जिसका चुनावों के दौरान अनुपालन होना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते है, उनके पत्रों को सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी जांच करता है जिसके बाद उन्हें स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। उम्मीदवार स्वयं भी अपना नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषण पत्र जारी करते हैं। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अनेक कदम उठाए जाते हैं; जैसे जनसभाएं, घर-घर जाकर वोट मांगना तथा लोगों का विश्वास जीतने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया, टी.वी और रेडियों का प्रयोग करना। मतदान के दिन चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता अपने मत का स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से प्रयोग कर सकें। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है।

पिछले दिनों इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू किया गया है। इस परिवर्तन के सकारात्मक परिणाम आए हैं क्योंकि अब जाली मतदान, बेईमानी, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने जैसी घटनाएं सम्भव नहीं हैं और गिनती भी शीघ्र ही पूरी की जा सकती है। यद्यपि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का भरसक प्रयास करता है परंतु हमारी चुनाव व्यवस्था के सामने धन और बाहुबल तथा अन्य भ्रष्ट तरीके अपनाने की समस्या है। इस सबसे बचने के लिए समय-समय पर कुछ चुनावी सुधार लागू किए गए हैं।

पाठांत प्रश्न

1. भारत के चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं?
2. लोक सभा अथवा विधान सभा चुनावों के दौरान अपनाई जाने वाली चुनावी प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें।
3. भारत की चुनाव व्यवस्था की कमियों को संक्षेप में लिखें। व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुधार संबंधी सुझाव दीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

18.1

1. (ख) 2. (ख) 3. छः 4. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश

5. (क) कमल (ख) हाथ (ग) साइकिल

6. (ग) 7. (ख)

18.2

1. (ग) 2. (ग) 3. (ग) 4. (क) 5. (ग)

6. (क) 7. (ख)

18.3

1. (क) धन-बल

(ख) बाहुबल

(ग) जाति और धर्म की भूमिका

(ग) सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग

टिप्पणी

2. (क) मतदान की आयु घटाना

(ख) सुरक्षा राशि को बढ़ाना

(ग) फोटो पहचान पत्र लागू करना

(घ) इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग व्यापक रूप से शुरू करना

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

1. खण्ड 18.2 देखें

2. खण्ड 18.4 देखें

3. खण्ड 18.5 और 18.6 देखें

किशोरों के मुद्दों पर आइए विचार करें

स्वस्थ सम्बन्ध /मित्रता को कैसे जाना जा सकता है?

निम्नलिखित द्वारा स्वस्थ सम्बन्ध बनाए जा सकते हैं :

- ✓ परस्पर
- ✓ विश्वास
- ✓ ईमानदारी
- ✓ सहायता
- ✓ निष्पक्षता और बराबरी
- ✓ अलग–अलग पहचान
- ✓ परस्पर बातचीत के अच्छे साधन

आपसी सम्बन्ध बनाने से पहले चेतावनी **N.P** स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछिए क्या आपका साथी/मित्र आप पर दबाव डालता है, आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आप अच्छे इंसान नहीं है? क्या आपको अकेलेपन का एहसास दिलाता है? क्या शारीरिक रूप से अथवा यौन सम्बन्धों द्वारा आपको हानि पहुँचता है?

यदि हाँ, तो आप अपने साथी/मित्र से इस विषय में बातचीत करें। यदि इसमें आपको सफलता नहीं मिलती, तब किसी से अपने इस संबंधी/मित्रक के बारे में फिर से विचार करें। एक विश्वस्त व्यक्ति से आप इस संबंध की चर्चा करें और सलाह लें, क्या वास्तव में आप अपने साथी से सुरक्षित हैं। यदि आपका साथी आपको चाहता है फिर भी दुख पहुँचता है तो यह उचित नहीं है।